रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1633] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 9, 2009/आश्विन 17, 1931
No. 1633] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2009/ASVINA 17, 1931

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2009

का.आ. 2565(अ).—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (आई सी ई एक्स), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, गुड़गांव द्वारा मान्यता प्रदान करने के लिए किए गए आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में तथा लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एक्सचेंज को वायदा संविदाओं के संबंध में स्थायी आधार पर उन सभी वस्तुओं जिनमें धारा 15 लागू है और वे वस्तुएं जिनमें न तो वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 17 और न ही धारा 15 लागू होती है, वायदा बाजार आयोग की पूर्व अनुमति से मंजूरी प्रदान करते हैं ।

2. एतद्द्वारा मंजूर की गई मान्यता इस शर्त पर दी जाती है कि उक्त एक्सचेंज वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निदेशों का अनुपालन करेगा ।

[फा. सं. 12/1/2009-आई टी]

राकेश कक्कड़, अपर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2009

S.O. 2565(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for grant of recognition, made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Indian Commodity Exchange Limited (ICEX), NCR, Gurgaon, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and in public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange on a permanent basis in respect of forward contracts in all the commodities in which Section 15 is applicable and the commodities to which neither Section 17 nor Section 15 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 is applicable, with the prior permission of the Forward Markets Commission.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may, from time to time, be issued by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12/1/2009-IT]

RAKESH KACKER, Addl. Secy.

3663 GI/2009

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.